

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज दिनांक 27-03-2021

हत्या के आरोप में अभियुक्त, 04 घंटे के अन्दर गिरफ्तार

थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत मु.अ.सं. 85/21 धारा 302,201 भादवि में नामित अभियुक्त विनोद मौर्या पुत्र अवधविहारी नि. करमहवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर द्वारा मृतक श्रवण यादव पुत्र रामजियावन नि. करमहवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में आज दिनांक 27.03.2021 को समय 09.03 बजे अभियोग पंजीकृत हुआ। जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के मार्गदर्शन व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में टीम गठित कर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विनोद मौर्या उपरोक्त को महावनखोर रामलीला मैदान के मन्दिर के पीछे से समय करीब 11.40 बजे मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय हमराहियान के इमदाद से गिरफ्तार कर हत्या के सम्बन्ध में पूछ ताछ कर आलाकतल रस्सी बरामद कर न्या0 रवाना किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

विनोद मौर्या पुत्र अवधविहारी नि. करमहवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 85/21 धारा 302,201 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी

आला कतल एक अदद रस्सी

बरामदगी करने वाली टीम

1. प्र.नि. नवीन कुमार सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. वरि. उनि. नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. उनि. शम्भूदयाल मिश्र थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
4. उनि. वंशगोपाल सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
5. उनि. सुरेश कुमार यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
6. हे.का. जितेन्द्र सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
7. का. प्रवीण कुमार यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
8. का. अमित कुमार खरवार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
9. का. विशाल यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर